आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1984)

आई. एस. तिवाना से पहले, जे। जय भगवान, - अपीलकर्ता।

बनाम

अनीता रानी, - उत्तरदाता।

1981 के आदेश संख्या 137-एम से पहली अपील।

2 सितंबर, 1983।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) - धारा 13-बी और 14 - विवाह के एक वर्ष के भीतर दायर सहमति के लिए तलाक के लिए याचिका - धारा 14 (1) के तहत प्राप्त नहीं किए गए समय के भीतर याचिका दायर करने की अनुमति - धारा 13-बी के तहत डिक्री विवाह को भंग करने के लिए पारित की गई डिक्री - ऐसी डिक्री - क्या अमान्य है - सहमति डिक्री पारित करने की आवश्यकता - धारा 13-बी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है । तलाक - क्या वैध है।

यह माना जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के शुरुआती शब्दों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अधीन है। धारा 14 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी अदालत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए किसी भी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं होगी, जब तक कि विवाह की तारीख पर नहीं। विवाह की तारीख से एक साल बीत चुका था। यह उप-धारा इस बात पर अधिक जोर देती है कि तलाक के लिए याचिका पर सुनवाई करने के लिए अदालत की क्षमता एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी ऐसी याचिका द्वारार करने के विवाह के किसी भी पक्ष के अधिकार पर अधिक जोर दिया जाए। इस स्थित में यह प्रकट होता है कि इस उप-धारा के उल्लंघन में विचार की गई याचिका के परिणामस्वरूप पारित डिक्री अनिवार्य रूप से शून्य है।

(सेवा 3)

माना जाता है कि सहमति के तलाक की डिक्री पारित करने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं तीन हैं, अर्थात्, (ए) पित और पत्नी याचिका से पहले कम से कम एक वर्ष के लिए अलग रह रहे हैं; (b) वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं, चाहे वे किसी भी तरह से क्यों न हों।

4^4

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1984)1

दोनों पक्षों द्वारा एक साथ विवाह के लिए जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, क्या ऐसा विवाह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हुआ था; इस आधार पर कि वे एक वर्ष से जीवित हैं। (iv) न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि याचिका में कही गई बातें सत्य हैं। •

अनुभाग के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को डिक्री के पारित होने के समय उपस्थित होना चाहिए और पेटिटी की पुष्टि करनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो आगे कोई या आवश्यक पूछताछ कर सकता है। जब यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और पार्टियां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, तो प्राप्त डिक्री कानूनी नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

(सेवा 3)।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) कुरुक्षेत्र की अदालत की डिक्री से पहली अपील, दिनांक 8 सितंबर, 1981 को आपसी सहमित से तलाक की डिक्री द्वारा पार्टियों के बीच विवाह को अनुमित देने और भंग करने की अनुमित दी गई।

सी. बी. गोयल, वकील,अपीलकर्ता।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के. डी. वर्मा ने कहा।

निर्णय

1. एस तिवाना, जे (मौखिक)

- (1) अपीलकर्ता-पित हिंदू विवाह अधिनियम (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 13-बी के तहत पारित डिक्री को लागू करता है। उनका दावा है कि यद्यपि विचाराधीन डिक्री उनके साथ की गई धोखाधड़ी का परिणाम है, फिर भी भले ही वह इन कार्यवाहियों में इस दलील को उठाने के हकदार न हों, फिर भी डिक्री उसी प्रावधान का उल्लंघन करती है जिसके तहत इसे पारित किया गया है। तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत कोई भी याचिका विवाह की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर बनाए नहीं रखी जा सकती है। यह विवाद का विषय नहीं है कि इस मुकदमे के पक्षकारों की शादी 22 अक्टूबर, 1980 को हुई थी और तलाक के लिए वर्तमान याचिका 2 मार्च, 1981 को विवाहकी तारीख से पांच महीने से भी कम समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।
- (2) अधिनियम की धारा 13-बी और 14 के प्रावधानों के आलोक में पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि अपील सफल होने के योग्य है। इन अनुभागों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़े गए हैं:
 - "13-बी. आपसी सहमति से तलाक-
 - (1) के अधीन .. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत "तलाक" की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए एक याचिका दायर की जा सकती है

दोनों पक्षों द्वारा एक साथ विवाह के लिए जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत कियागया है, क्या ऐसा विवाह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हुआ था; इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अविध के लिए अलग-अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और वे पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने से पहले और उक्त तारीख के अठारह महीने बाद से कम समय के बाद दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, यिद इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय संतुष्ट होने पर, पक्षों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, करेगा, यिद एक विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में दिए गए कथन सही हैं, तो डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करते हुए तलाक की डिक्री पारित करें।
- 14. शादी के तीन साल के भीतर तलाक के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जानी चाहिए।
 - (1) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, आईआईटी किसी भी न्यायालय के लिएतलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए किसी भी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं होगा, जब तक कि याचिका की प्रस्तुति की तारीख को विवाह की तारीख से एक वर्ष बीत न गया हो:
 - परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार उसके समक्ष किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालयों द्वारा इस संबंध में बनाए जा सकते हैं, विवाह की तारीख से एक वर्ष बीत जाने से पहले इस आधार पर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमित दे सकता है कि यह मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई का है या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता का है, लेकिन अगर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने मामले की प्रकृति को किसी भी गलत बयानी या छिपाकर याचिका पेश करने की अनुमित प्राप्त की है, तो न्यायालय, यिद वह डिक्री सुनाता है, तो इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकता है कि डिक्री विवाह की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद तक प्रभावी नहीं होगी या बिना किसी पूर्वाग्रह के याचिका को खारिज कर सकती है। कोई भी याचिका जो हो सकती है

उक्त एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसी या काफी हद तक उन्हीं तथ्यों पर लाया जाए जो याचिका के समर्थन में आरोप लगाए गए हैं।

(2) ...

- (3) पूर्व धारा के शुरुआती शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम का एक हिस्सा होने के नाते उत्तरार्द्ध के अधीन है।बाद की धारा (1) में कहा गया है कि अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी अदालत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए किसी भी यांचिका पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं होगी, जब तक कि याचिका की प्रस्तुति की तारीख को एक वर्ष बीत न गया हो। शादी की तारीख से। यह उप-धारा एक वर्ष की समाप्ति से पहले तलाक के लिए याचिका पर विचार करने के लिए अदालत की क्षमता पर अधिक जोर देती है, बजाय इसके कि विवाह के किसी भी पक्ष को ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार दिया जाए। इस स्थिति में यह स्पष्ट है किइस उप-धारा के उल्लंघन में विचार की गई याचिका के अवशेष के रूप में पारित डिक्री अनिवार्य रूप से एक अमान्य है। प्रतिवादी का यह मामला नहीं है कि याचिका को बनाए रखने के लिए अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परंतुक के संदर्भ में कोई अनुमति ट्रायल कोर्ट से ली गई थी। इसलिए, मेरा सुविचारित विचार है कि ट्रायल कोर्ट संभवतः एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका पर विचार नहीं कर सकता है ©विवाह की तारीख बहुत कम है जब इसमें एक भी आरोप नहीं था कि पक्ष एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे थे और किसी भी परिस्थिति में एक साथ रहने में असमर्थ थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है किसहमति के तलाक की डिक्री पारित करने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं तीन हैं, अर्थात्, (ए) पति और पति याचिका से पहले कम से कम एक वर्ष के लिए अलग-अलग रह रहे हैं; (ख) वे एक साथ नहीं रह पाए हैं. चाहे जो भी कारण हो; और (ग) वे पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा,धारा 13-ख के संदर्भ में प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं -
 - (i) पित और पत्नी दोनों को एक संयुक्त याचिका दायर करनी चाहिए;
 - (ii) याचिका दायर करने और डिक्री पारित होने के बीच कम से कम छह महीने लेकिन 18 महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए;
 - (iii) अदालत को पक्षों को सुनने पर संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह संपन्न हुआ था: और
 - (iv) अदालत संतुष्ट है कि याचिका में की गई बातें सही हैं।

मेरेलिए धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को डिक्री के पारित होने के समय उपस्थित होना चाहिए और याचिका की पृष्टि करनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय, यिद वह उचित समझता है, तो आगे कोई या आवश्यक पूछताछ कर सकता है। इस मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, न ही रिकॉर्ड से यह बात सामने आई है। दूसरी ओर मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि न तो अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से मामले के किसी भी चरण में मौजूद था और न ही अदालत द्वारा उससे पूछताछ की गई थी।

(4) उपरोक्त कारणों के लिए, मैं >फैसले और डिक्री को रद्द करते हुए अपील को अस्वीकार करता हूं, याचिका को अक्षम के रूप में खारिज करता हूं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूं।

एन.के.एस.

जे. एम. टंडन से पहले जे. एम. टंडन सेवक दास, - याचिकाकर्ता,

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, उत्तरदाताओं। सिविल रिट याचिका सं. 637 oj F 1977 8 सितंबर, 1983।

सिख गुरुद्वारा अधिनियम (1925 का XXIV) - धारा 7 - कई सिख उपासकों द्वारा धारा 7 (1) के तहत आवेदन - उप-धारा (3) ओएफ धारा 7 के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना - अधिसूचना जारी होने के बाद इच्छुक पक्षों को धारा 7 (4) के तहत नोटिस -धारा 7 की उप-धाराओं (1) और (2) के अनुपालन के लंबे समय बाद जारी अधिसूचना - क्या देरी के आधार पर रद्द की जा सकती है।

अदालत ने कहा कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 7 की उप-धारा (4) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि धारा 7 (3) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ही इच्छुक पक्ष को नोटिस दिया जा सकता है। इस प्रकार, अधिसूचनाके प्रकाशन से पहले इच्छुक पक्ष को नोटिस दिया गया था, बाद में इसे अमान्य नहीं कहा जा सकता है।

(सेवा 3)

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहतराज्य सरकार के लिए उप-धाराओं (1) में निहित प्रावधानों के अनुपालन के बाद अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना अनिवार्य है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मिताली अग्रवाल प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा